16068

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 12/2023 | दायर दिनांक–07.02.2023

उनवान

स्व. हुमला पुत्र रूपा भील निवासी पीपलोद जिला बांसवाड़ा के वारिसान
1/1. दीपा पुत्र स्व. हुमला जाति भील उम्र वयस्क
1/2. बहादुर पुत्र स्व. हुमला जाति भील उम्र वयस्क
1/3. श्रीमती जीवा पत्नी हुमला जाति भील उम्र वयस्क
समस्त निवासीयान पीपलोद तह0 बांसवाड़ा। **(वादीगण)**

बनाम

1. स्व.चुन्नीलाल पुत्र प्रभुलाल चौबिसा
2. स्व. भवानीशंकर पुत्र प्रभुलाल चौबिसा
3. स्व. विश्वनाथ पुत्र हैतलाल
4. स्व. गंगाशरण पुत्र हिम्मतराम जी
5. स्व. गौरीशंकर पुत्र आन्नदराम जी
6. स्व. रेवाशंकर पुत्र आन्नदराम जी

समस्त जाति ब्राहाम्ण के वारिस
1–6/1. अमित व्यास पिता चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहाम्ण निवासी औदिच्यवाड़ा तह0 व जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. तहसीलदार बांसवाड़ा **(प्रतिवादीगण)**

उपस्थिति

1. श्री यशपाल गुप्ता — **अधिवक्ता वादीगण**
2. श्री राजकुमार जैन — **अधिवक्ता प्रतिवादी**

वाद अंतर्गत धारा– 88, आर.टी एक्ट प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी.

दिनांकः–15.02.2023

–::आदेश::–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है। कि प्रकरण संख्या 88/2004 निर्णय दिनांक 16.01.2023 में संशोधित उनवान के साथ निर्णय व डिक्री पारित करने के आदेश प्रदान करें । साथ में आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट व शपथ पत्र व संशोधित शीर्षक पेश किया है। न्यायालय को धारा 151 सी.पी.सी. में inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justics or to prevent abuse of the process of the court.(न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है। धारा 152 amendment of judgments, decress or orders :- clerical or arithmentical mistakes in judement, decress or orders or errors arising therein form any accidental slip oromission may at any time be corrrcted by the court either of its own motion or on the application of any of the parties.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2024.05.22 11:06:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त संशोधन न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा पक्षकार के हित प्रभावित होते है। और उसका लाभ प्रार्थीया भुरी को प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 151, 152 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना दिनांक 23.01.2023 रेकार्ड पर लेकर वाद–पत्र के उनवान में संशोधन के आदेश प्रदान कर निर्णय व डिक्री पारित करें।

हमने प्रार्थना पत्र मुल पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान परिशीलन किया । न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी 1/1 स्व. श्री दीपा पुत्र स्व. हुमला की मृत्यु हो जाने से उसके विधिक वारिसान भूरी बेवा स्व.दीपा जाति भील, उम्र वयस्क निवासी पिपलोद जिला बांसवाड़ा को दीपा की जगह वादी संख्या 1/1 की जगह डिक्रीदार घोषित किया जाता है।

उक्त निर्णय को डिक्री का भाग समझा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी 12/3
बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2024.05.22 11:06:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner